

राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प 10.11.21

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जमानपुरा व भू.अ.नि. 10.11.21 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जमानपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् 2022-27 में खाता संख्या 295 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>जमानपुरा</u>	<u>295</u>	<u>श्री. लाल शंकर लाल</u> <u>श्री. लाल शंकर लाल</u> <u>श्री. लाल शंकर लाल</u> <u>शुद्ध</u>	<u>श्री. लाल शंकर लाल</u> <u>श्री. लाल शंकर लाल</u> <u>श्री. लाल शंकर लाल</u> <u>शुद्ध</u>

(श्री. लाल शंकर लाल रेगार)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 389/18

दिनांक :- 16/5/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री श्री. लाल शंकर लाल को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(श्री. लाल शंकर लाल रेगार)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा